



जनपद

गाजियाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01-01 -21

300 बोटल (225 ली0) अवैध अग्रेजी शराब OLD MONK XXX RUM FOR SALE IN DELHI

ONLY-FOR SALE IN CSD ONLY कीमत करीब 105,000/- रुपये मय एक अदद गाडी

CHEVROLET-CAPTIVA बरामद होना

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री महिपाल सिंह व पुलिस उपाधीक्षक (U.T.) श्री सुनील कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में दि0 31.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के साथ मिलकर उ0नि0 श्री लोगेश कुमार द्वारा पैरीफेरल एक्सप्रेसवे सुन्दरदीप टोल के पास मसूरी समय करीब 23.10 बजे एक गाडी CHEVROLET-CAPTIVA रोका गया तो गाडी चालक ने कुछ दूरी पर गाडी को रोककर पीछे मोडकर भागने का प्रयास किया उनका पीछा किया गया तो एक बार में ही घेर घोटकर गाडी को रोक लिया। कार में सवार दोनो व्यक्तियों को कार से नीचे उतारकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो कार चालक ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम वनवासा थाना बरौदा जिला सोनीपत उम्र 36 वर्ष व कन्डकर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सनी पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम रोहणा थाना खरखौदा जिला पानीपत (हरियाणा) उम्र 20 वर्ष बताया। गाडी को खोलकर चेक किया गया तो गाडी में 300 पेटी अग्रेजी शराब OLD MONK XXX RUM FOR SALE IN DELHI – FOR SALE IN CSD ONLY 750 ML कुल 300 बोटल (225 ली0) बरामद हुयी। जिसकी तीव्रता एल्कोहल मीटर से मौके पर आबकारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार द्वारा जांच की गयी तो तीव्रता 40.2/V/V पायी गयी। गाडी पर नम्बर प्लेट पर रजि0नं0 डीएल 9 सीटी 0606 अंकित है गाडी पर अंकित रजिस्ट्रेशन नं0 को वाहन फोर ऐप पर डालकर चेक किया गया तो कोई डिटेल् प्राप्त नहीं हुयी। गिरफ्तारशुदा दोनो अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 420 भादवि पंजीकृत किया गया। गाडी के रजि0 नम्बर से वाहन स्वामी की तलाश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अपराध करने का तरीका:- दिनांक 31.12.20 को मुखबिर खास सूचना मिली कि एक गाडी में शराब तस्करो द्वारा अग्रेजी शराब की बोटले भरकर स्क्रेप से छुपाकर पैरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पानीपत की तरफ से सुन्दरदीप कॉलेज के पास टोल से होकर गाजियाबाद जाने वाले है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार मय अपनी टीम व उ0नि0 श्री लोगेश कुमार मय अपनी टीम के साथ मिलकर सुन्दरदीप कॉलेज के पास संघन चैकिंग की गयी मुखबिर की सूचना के आधार पर एक गाडी CHEVROLET-CAPTIVA रोका गया गाडी में सवार दोनो उपरोक्त अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर गाडी को चेक किया गया तो गाडी में 300 पेटी अवैध अग्रेजी शराब OLD MONK XXX RUM FOR SALE IN DELHI – FOR SALE IN CSD ONLY 750 ML कुल 300 बोटल (225 ली0) बरामद हुयी।

बरामदगी का विवरण:-

1. 300 बोटल(225 ली0) अग्रेजी शराब OLD MONK XXX RUM FOR SALE IN DELHI ONLY - FOR SALE IN CSD ONLY 750 ML कीमत करीब 105,000/- रुपये
2. एक अदद गाडी CHEVROLET-CAPTIVA

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 Ex Act व 420 भादवि थाना मसूरी गा0बाद।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहास-

1.सत्यपाल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम वनवासा थाना बरौदा जिला सोनीपत(हरियाणा) उम्र 36 वर्ष

1. मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 Ex Act व 420 भादवि थाना मसूरी गा0बाद।
2. मु0अ0सं0 736/17 धारा 63/72 Ex Act व 420 भादवि थाना गुलावटी बुलन्दशहर।

2. सनी पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम रोहणा थाना खरखौदा जिला पानीपत (हरियाणा) उम्र 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 Ex Act व 420 भादवि थाना मसूरी गा0बाद।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे एक अदद नाजायज चाकू बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 01.01.2021 को समय करीब 01.47 बजे 80 फुटा रोड कृष्णा जूस कार्नर से अभियुक्त टीटू पुत्र इन्द्रपाल नि0 पप्पू कालोनी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु चाकू अपने साथ रखता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. टीटू पुत्र इन्द्रपाल नि0 पप्पू कालोनी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 003/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद नाजायज चाकू।



थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरौली के जैनेन्द्र उर्फ जैनी बैसला के हत्याकाण्ड का खुलासा दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 22.12.2020 को ग्राम सिरौली के जैनेन्द्र उर्फ जैनी की हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए अभियुक्त 1. उमेश उर्फ फौजी पुत्र राजपाल गुर्जर निवासी ग्राम मिलक दुहाई थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद 2. सागर भारती पुत्र सरताज भारती निवासी म0न0 K-842 लोहियानगर हापुड रोड थाना खरखौदा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सागर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकतल एक अदद पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त उमेश उर्फ फौजी के कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस मय घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार नं0 UP 14 BY 8126 बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

मृतक जैनेन्द्र उर्फ जैनी के पिता दो सगे भाई थे जैनेन्द्र के पिता की दो शादियां हुई थी जिसमें जैनेन्द्र के पिता किशन की पहली पत्नी से संतराम व उसकी एक बहन संतरा थी तथा दूसरी पत्नी से जैनेन्द्र, सुरेन्द्र व संजय है। जैनेन्द्र के ताऊ रत्नू के कोई सन्तान न होने के कारण पवन के पिता संतराम को रत्नू द्वारा गोद ले लिया गया था तथा रत्नू के हिस्से की पैतृक सम्पत्ति संतराम को मिल गयी। पवन उर्फ कल्लू संतराम का बेटा है। संतराम ने अपने हिस्से में आई सम्पत्ति को गलत आदतो के कारण खुर्द बुर्द कर दिया था। पवन उर्फ कल्लू, जैनी उर्फ जैनेन्द्र के हिस्से में आई पैतृक सम्पत्ति में से अब हिस्सा लेना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। पवन उर्फ कल्लू द्वारा अपने साथी मनोज निवासी नगला नैनसुख दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर व अमित कसाना नि0 ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गा0बाद तथा उमेश उर्फ फौजी उपरोक्त के साथ मिलकर जैनेन्द्र उर्फ जैनी की हत्या करने का षडयन्त्र ग्राम रिस्तल में अमित कसाना

के घर पर रचा गया तथा अमित कसाना द्वारा पवन उर्फ कल्लू को दो शूटर बिल्लू कांडा व सागर भारती उपलब्ध कराये गये। अभियुक्त उमेश उर्फ फौजी, मनोज, अमित कसाना, सुनील नि0 चचूडा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर, अंकित जो मनोज का साला नि0 भैस रावली हरियाणा, मनीष नि0 खेडी भनौता थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर, कल्लू उर्फ राहुल, कपिल, सागर नि0गण ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गा0बाद ने पूर्व में रची गयी साजिश के तहत अभियुक्त पवन उर्फ कल्लू, बिल्लू कांडा व सागर भारती को स्पलैण्डर मोटर साईकिल से जैनेन्द्र के घर पर भेजा, जिन्होंने षडयन्त्र के मुताबिक जैनेन्द्र उर्फ जैनी को घर से बुलाकर ताबडतोड फायरिंग करते हुए हत्या कर दी तथा अन्य उपरोक्त अभियुक्त सैन्ट्रो कार व आई 20 कार से घटनास्थल के आस पास इनकी मदद करने के लिए मौजूद रहे।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

1. उमेश उर्फ फौजी पुत्र राजपाल गुर्जर निवासी ग्राम मिलक दुहाई थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद
2. सागर भारती पुत्र सरताज भारती निवासी म0न0 K-842 लोहियानगर हापुड रोड थाना खरखौदा जनपद मेरठ

अभियुक्त उमेश उर्फ फौजी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1097/2020 धारा 302/452/506/120बी/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- 2- मु0अ0सं0 409/08 धारा 307/504/506 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
- 3- मु0अ0सं0 521/18 धारा 307/506 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
- 4- मु0अ0सं0 416/13 धारा 504 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
- 5- मु0अ0सं0 1021/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना मुरादनगर गा0बाद

अभियुक्त सागर भारती के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1097/2020 धारा 302/452/506/120बी/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल नाजायज 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर
2. 01 अदद तमन्चा मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. सैन्ट्रो कार नं0 UP 14 BY 8126

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 1 किलो 300 ग्राम डोडा चुर्ण के साथ एक शातिर डोडा तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 01/01/2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त राहुल भाटी को 1 किलो 300 ग्राम नाजायज डोडा चुर्ण के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1-राहुल भाटी पुत्र स्व0 सोमवीर भाटी नि0 बी-413, सै0 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण*

1- मु.अ.स. 01/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण*

1- 01 किलो 300 ग्राम नाजायज डोडा चुर्ण



थाना कविनगर द्वारा अवैध शराब व गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 05 किलो गांजा व 5 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व तस्करी मे प्रयुक्त कार होन्डा एकोर्ड बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.01.21 को समय 00.15 बजे मुखर्जी पार्क थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू पुत्र सत्यवान निवासी 196 दौलतपुरा भाटिया मोड सिहानीगेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम गालमपुर थाना डिबई जनपद बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 किलो गांजा व 05 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का मय कार होन्डा एकोर्ड नं0 DL4CAB 6861 बरामद हुआ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमश मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 EX ACT व मु0अ0सं0 02/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किये गये हैं।

अपराध कारित करने का तरीका:- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो हरियाणा राज्य से अवैध शराब लाकर गाजियाबाद मे बेचता है व अवैध गांजा की तस्करी कर अवैध धन अर्जित कर राजस्व को हानि पहुंचाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सोनू पुत्र सत्यवान निवासी 196 दौलतपुरा भाटिया मोड सिहानीगेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम गालमपुर थाना डिबई जनपद बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष शिक्षा अनपढ।

बरामदगी का विवरण -

1. 05 किलो गांजा नाजायज
2. 05 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का
3. होन्डा एकोर्ड नं0 DL4CAB 6861 तस्करी मे प्रयुक्त

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 01/21 धारा 60/63 EX ACT थाना कविनगर गाजियाबाद
- 2-मु0अ0सं0 02/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद
- 3- मु0अ0सं0 592/2019 धारा 482 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 4- मु0अ0सं0 1705/2018 धारा 60/63 EX ACT थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 5- मु0अ0सं0 49/2018 धारा 63 EX ACT थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 6- मु0अ0सं0 590/2019 धारा 60/63 EX ACT थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 7- मु0अ0सं0 1299/2017 धारा 8/15 NDPS ACT थाना सिहानीगेट गाजियाबाद



1 नफर अभियुक्त को एक अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान दिनांक 01.01.2021 समय 00.30 बजे दिन में घटनास्थल साहिल पब्लिक स्कूल टी पोईन्ट से लगभग 30 कदम कविता सिनेमा जाने वाला रास्ता दीपक विहार खोडा कालोनी चौकी क्षेत्र नेहरू गार्डन थाना खोडा क्षेत्र से 01 नफर अभि० को एक अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. बिलाल पुत्र शमीम अहमद नि० मस्जिद के पास झुग्गी सेक्टर 8 नोएडा मूल पता ग्राम सलाह बुजुर्ग थाना विधान जिला समस्तीपुर बिहार उम्र 38 वर्ष

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्त उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में तमंचे का भय दिखाकर लोगो से घटनाओं को अंजाम देता है।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद होना।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त मोहम्मद शोएब का आपराधिक इतिहास

| क्र०सं० | मु०अ०सं० | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|-------------|------|-----------|
| 1 | 01/2011 | 3/25 ए एक्ट | खोडा | गाजियाबाद |



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पैरिफेरल जंगल ग्राम मिलकपुर चाकर में हुई ट्रक व मसूरी में हुई ईनोवा लूट का सफल अनावरण

कार्यवाही:- दिनांक 14/12/2020 की रात्रि को पैरिफेरल मिलकपुर चाकर चौकी क्षेत्र पाइपलाइन में ट्रक इंजन (घोडा) लूट हुई थी। जिसके सम्बन्ध में वादी कर्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मलौटा गली नं० 6 थाना मलौटा जिला यूसुफपुर साहिब पंजाब की तहरीर पर अज्ञात लूटेरों द्वारा वादी का ट्रक नं० PB 19 M3867 के चालक रणवीर व क्लीनर राघवेन्द्र को नशीला पदार्थ पिलाकर ट्रक इंजन (घोडा) लूट के सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/प्रभारी निरीक्षक श्री सरवणन टि (I.P.S) व प्रभारी निरीक्षक मुरादनगर अमित कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अथक परिश्रम कर सर्विलांश के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना का सफल अनावरण कर आज दिनांक 01/01/2021 को मिलकचाकरपुर के जंगल से माल सहित 1. नदीम पुत्र आबिद 2. आदिल उर्फ पहलवान 3. हरचरण सिंह पुत्र मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से ट्रक इंजन (घोडा) को बेचकर अर्जित किये गये 1 लाख 20 हजार रुपये व लूटे गये ट्रक की 02 स्टेपनी व लूट में प्रयुक्त 01 वैगेनार कार बरामद हुये व एक नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये एवं साथ ही अभियुक्तगणों द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मसूरी में ईनोवा लूट की घटना को भी अन्जाम दिया गया था। इन लोगों द्वारा दोनों गाडियों को दिल्ली मायापुरी में पिकू व अन्य साथियों को बेचा था, जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि दिनांक 14/12/2020 को हम लोगों ने अपने साथियों अरमान, सोनू, असलम, शावेज उर्फ सुल्तान के साथ मिलकर ईस्टन पेरीफेरल हाईवे पर मिलकचाकरपुर के पास खड़े ट्रक ट्रौला में बागपत कट पर जाने की बात कह कर चढ गये थे तथा ड्राईवर व क्लीनर को तमंचे से डरा धमका कर कोल्डिंग में नशीला पदार्थ मिलाकर पिता दिया था तथा उन्हें रोड के किनारे डाल दिया था और उसके छोडा आगे हम धान से लदा ट्रक का ट्रौला वही छोडकर ट्रक इंजन (घोडा) लूट ले गये थे। हमने ट्रक का ट्रक इंजन (घोडा) की दो इस्टेपनी निकाल कर वहीं फेंक दी थी तथा ट्रक इंजन (घोडा) को 2,80,000/- रुपये में पिंकू उर्फ प्रीतपाल S/O राजेन्द्र निवासी 20 B 154A तिलक नगर नियर गुरु द्वारा थाना तिलक नगर दिल्ली को बेच दिया था तथा हम लोगो ने पैसे बराबर बराबर बांट लिए थे। हम लोगो के हिस्से में 40,000/- 2 रुपये आये थे। हम लोगो के पास से जो पैसे बरामद हुए हैं उसी ट्रक की बिक्री के हैं तथा हम से जो स्टेपनी बरामद हुई हैं उसी लूटे हुए ट्रक की हैं। अभि०गणों द्वारा अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त आदिल ने बताया कि दिनांक 30/9/2020 को मैंने व मेरे साथी अरमान, राशिद व इमरान ने एक गाडी टीकम की टूर एण्ड ट्रेवल्स बडौत से फोन द्वारा बुक की और गाडी को दिल्ली जामा मस्जिद बुलाया था। गाडी नम्बर UP16AJ 1257 इनोवा को नौशाद नाम का ड्राईवर हमारे पास लेकर आया था। हम चारो लोग उस इनोवा में घूमने के लिए कलिमर गये थे। अगले दिन दिनांक 01/10/2020 को शाम के समय हमने ड्राईवर नौशाद को रास्ते में बंधक बनाकर गाडी व उसका पर्स मोबाईल लूट लिये थे और उसको डासना मंसूरी टोल के पास फेंककर दिल्ली चले गये थे। हमने गाडी को पिंकू को बेच दिया था दोनों गाडियां पिंकू के पास ही हैं। हमारे दो साथी पहले ही मसूरी से जेल जा चुके हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नदीम पुत्र आबिद निवासी पट्टी मुण्डाला नाला पार थाना खेकडा जिला बागपत।
2. आदिल उर्फ पहलवान निवासी काठा थाना कोतवाली जनपद बागपत।
3. हरचरण सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी 20 B 57 A तिलक नगर नियर गुरुद्वारा थाना तिलकनगर दिल्ली।
4. सावेज उर्फ सुलतान पुत्र रियाजुद्दीन नि० 12,13 वार्ड काठा थाना कोतवाली बागपत (थाना बडौत में अन्य लूट की घटना में गिरफ्तार)

नाम पता फरार अभियुक्तगण:-

1. अरमान पुत्र मेहरद्दीन निवासी पट्टी मुण्डाला नाला पार थाना खेखडा बागपत
2. सोनू पुत्र मेहरद्दीन निवासी अज्ञात
3. असलम निवासी शास्त्री पार्क दिल्ली
4. पिंकू उर्फ प्रीतपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 20बी/54ए तिलकनगर नियर गुरुद्वारा थाना तिलकनगर दिल्ली

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- मु०अ०सं० 873/20 धारा 328/395 /412 भादवि।
- मु०अ०सं० 01/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम आदिल उर्फ पहलवान
- मु०अ०सं० 536/20 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी।
- मु०अ०सं० 1124/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना को० बडौत जनपद बागपत
- मु०अ०सं० 1128/20 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना को० बडौत जनपद बागपत
- मु०अ०सं० 1129/20 धारा 411/414 भादवि थाना को० बडौत जनपद बागपत

बरामदगी

- 1 लाख 20 हजार रुपये
- 02 स्टेपनी लूटे हुए होश पावर की
- 01 तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाजायज 105 ग्राम नशीला पाउडर के गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शस्त्र/ शराब/ जुआ/सट्टा की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 01-01-2021 को अगरोला समय 12-20 वजे अभियुक्त रूसतम पुत्र जाकिर हुसैन निवासी कासिम बिहार मजार वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को नाजायज नशीला पाउडर के गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 105 ग्राम नशीला पाउडर बरामद। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर अ0सं0 03/2021 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नशीला पाउडर बेचता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रूसतम पुत्र जाकिर हुसैन निवासी कासिम बिहार मजार वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण - 105 ग्राम नशीला पाउडर बरामद

अपराधिक इतिहास-

अ0सं0 03/2021 धारा 8/21 NDPS Act

अ0सं0 300/18 धारा 8/20 NDPS Act



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाजायज शराब 47 पव्वे के गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शस्त्र/ शराब/ जुआ/सट्टा की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 01-01-2021 को अगरोला समय 00-45 वजे अभियुक्त पुन्ना उर्फ विकास पुत्र जयप्रकाश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को नाजायज शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 47 पव्वे नाजायज शराब हरियाणा मार्का बरामद। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर अ0सं0 02/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शराब बेचता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पुन्ना उर्फ विकास पुत्र जयप्रकाश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण - 47 पव्वे नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का

बरामद



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाजायज शराब 72 पव्वे के गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शस्त्र/ शराब/ जुआ/सट्टा की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 31-12-20 को निकट चमन विहार झुग्गी झोपडी के किनारे समय 23-35 बजे अभियुक्त बिट्टू पुत्र जवाहर ठाकुर निकट चमन विहार झुग्गी झोपडी के किनारे थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को नाजायज शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 72 पव्वे नाजायज शराब हरियाणा मार्का बरामद । जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर अ0सं0 01/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शराब बेचता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बिट्टू पुत्र जवाहर ठाकुर निकट चमन विहार झुग्गी झोपडी के किनारे थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण - 72 पव्वे नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद



थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 166 पाउच कच्ची शराब नाजायज सहित किया गिरफ्तार ,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त 166 पाउच कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 31/12/2020 को समय 22.30 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम अफजलपुर से राजपुर जाने वाले रास्ते पर वट वक्ष के पास एक अभियुक्त दिनेश उर्फ पहाडी पुत्र महीपाल नि0 ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड़ गा0बाद गिरफ्तार किया गया तथा उसका एक साथी फरार हो गया । अभियुक्त के कब्जे से एक बोरे में 75 पाउच कच्ची शराब के तथा फरार साथी के बोरे से 91 पाउच कच्ची शराब नाजायज बरामद हुई । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 01/21 व 02/21 धारा 60/62 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

दिनेश उर्फ पहाडी पुत्र महीपाल नि० ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड गा०बाद

अभियुक्त से बरामदगी –

एक बोरे में 166 पाउच कच्ची शराब नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु०अ०सं० 01/21 धारा 60/62 आब० अधि० थाना टीला मोड गा०बाद

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद के प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम द्वारा मु०अ०स० 513/20 धारा 60/62 ex act व 272/273 भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार ,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओ के के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु०अ०स० 513/20 धारा 60/62 ex act व 272,273 भादवि को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 24/12/2020 को महमूद बम्बा से अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र राजपाल नि० रिस्तल थाना टीला मोड गा०बाद द्वारा कच्ची शराब में युरिया मिश्रण कर तीव्रता बढ़ायी जा रही थी तथा मौके से 20 लीटर कच्ची शराब व 250 ग्राम बरामद हुआ था , अभियुक्त हरेन्द्र मौके से फरार हो गया था । जिसके सम्बन्ध में से मु०अ०स० 513/20 धारा 60/62 ex act , 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया था । दिनांक 1/01/2021 को समय 00.05 बजे तलाश वांछित एवं दबिश के दौरान वांछित अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गा०बाद को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

हरेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गा०बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु०अ०सं० 513/20 धारा 60/62 आब० अधि० व 272/273 भादवि थाना टीला मोड गा०बाद

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।